# कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ–ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / **1820** / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2026 रायपुर, दिनांक **18.11.2026**

## //प्रवेश वर्ष 2026 - NEET UG (BDS) पाठयक्रम के स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी – 3 राउण्ड काउंसिलिंग हेतु नवीन पंजीयन एवं पूर्व पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों के लिए संस्था चयन संबंधी सूचना//

चिकित्सा परामर्श समिति (MCC) द्वारा जारी समय–सारिणी दिनांक 17.11.2026 **(प्रति संलग्न)** के परिपालन में, प्रवेश वर्ष 2026 NEET UG के अंतर्गत स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड –2 में प्रवेश उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य के निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में शेष रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड–3 आयोजित किया जाना है।

उक्तानुसार पात्र अभ्यर्थियों से नवीन पंजीयन हेतु ऑनलाइन आवेदन तथा पूर्व पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन संस्था चयन (Choice Filling) आमंत्रित किए जाते हैं। सभी आवेदक ऑन–लाईन आवेदन एवं संस्था चयन करने के पूर्व क्रमांकः **RULE-503/30/2025/ MED.** छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम, 2025 **(विशेषकर आरक्षण/काउंसिलिंग प्रक्रिया/बॉण्ड इत्यादि)** का पूर्णतः अध्ययन कर ही ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ करें, जो की वेबसाइट *www.cgdme.in* एवं *https://cgdme.admissions. nic.in/* में उपलब्ध है।

### नवीन ऑनलाईन आवेदन एवं संस्था चयन प्रक्रिया हेतु समय–सारिणी

| क्र. | प्रक्रिया का विवरण | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | ऑनलाईन आवेदन करने हेतु प्रारंभ एवं अंतिम तिथि | **दिनांक 19.11.2026, समय Server Time 11:00 Hrs (11:00 AM) से दिनांक 21.11.2026, समय Server Time 23:59 Hrs (11:59 PM) तक** |
| 2 | च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग हेतु प्रारंभ एवं अंतिम तिथि (Choice Filling and Locking) | **दिनांक 19.11.2026, समय Server Time 11:00 Hrs (11:00 AM) से दिनांक 22.11.2026, समय Server Time 23:59 Hrs (11:59 PM) तक** |

नोटः–

1. **इस चरण में सभी पूर्व पंजीकृत अप्रवेशित अभ्यर्थी तथा नवीन पंजीयन करने वाले पात्र अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकेंगे।**
2. पूर्व से पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों को उपरोक्त उल्लेखित तिथि में संस्था चयन करना आवश्यक है चूंकि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में चयन किये संस्था स्वतः शुन्य हो गये है, अर्थात संस्था चयन रिक्त हो गया है

क्रमश––2––

Scanned with OKEN Scanner

अतः इस चरण की काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए पुनः संस्था चयन करना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी संस्था चयन नहीं करेंगे तो उन्हें इस चरण की काउंसिलिंग में सीट आवंटन नहीं किया जा सकेगा।

3. **इस राउण्ड की काउंसिलिंग हेतु नवीन पंजीयन तथा पूर्व पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाईन आवेदन में संशोधन (Edit) करने की सुविधा आवेदन की अंतिम तिथि तक निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। किन्तु, ऑनलाईन आवेदन में ऐसी प्रविष्टियाँ (Entries), जो केन्द्र शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए परीक्षा परिणाम डाटा से सीधे प्राप्त होती हैं, तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रविष्ट किया गया मोबाइल नंबर एवं ई–मेल पता अपरिवर्तनीय रहेंगे।**
4. **इस चरण की काउंसिलिंग के उपरांत सीटें रिक्त रहने पर, इसी चरण में जारी मेरिट सूची एवं अभ्यर्थियों द्वारा किए गए संस्था चयन (Choice Filling) के आधार पर पुनः सीट आवंटन किया जा सकेगा।**
5. आगामी काउंसिलिंग की प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी हेतु संचालनालय की वेबसाईट **www.cgdme.in** एवं एन.आई.सी. की वेबसाइट **https://cgdme.admissions.nic.in/** का नियमित अवलोकन करें।
6. काउंसिलिंग की समस्त प्रक्रिया (पंजीयन राशि भुगतान, संस्था तथा विषय चयन, च्वाईस लॉकिंग इत्यादि) अभ्यर्थी द्वारा स्वंय की जाती है, इसलिए अपूर्ण अथवा गलत जानकारी प्रदाय करने की स्थिति में अगर अभ्यर्थी का पंजीयन अथवा आवंटन निरस्त किया जाता है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केवल अभ्यर्थी की होगी एवं यह कार्यालय अथवा काउंसिलिंग समिति किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगी।

**(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)**

Rabi 18/11/26

**अध्यक्ष,**
**काउंसिलिंग समिति,**
**संचालनालय चिकित्सा शिक्षा**

Scanned with OKEN Scanner